

## सूचना

उत्पीड़न की संवेदनशीलता, रोकथाम और पुनर्व्यवस्था

(Sensitization, Prevention and Redressal of Sexual Harassment)

लिंग आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा के अन्य कृत्यों से मुक्त परिसर वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध, SPARSH, शीर्ष समिति, 12 मार्च से 15 मार्च 2024 तक तीनों परिसरों में एक-एक कर के यू. जी. सी. (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 पर एक सत्र निम्न प्रारूप के अनुसार आयोजित कर रही है। कार्यक्रम में परिसर के सभी शैक्षिक, गैर शैक्षिक, एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित है।

### कार्यक्रम प्रारूप

क्र. संख्या	परिसर	दिनांक	समय
1.	शाहपुर	12 मार्च , २०२४	दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक
2.	धर्मशाला परिसर I एवं II	14 मार्च , २०२४	दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक
3.	देहरा I एवं II	13 मार्च , २०२४	प्रातः 11 मार्च से 1 बजे तक

अभिविन्यास कार्यक्रम के निम्नलिखित बिन्दु हैं :

- नई SPARSH समिति का परिचय
- SPARSH समिति एवं UCC (विश्वविद्यालय शिकायत समिति) की भूमिका
- यू. जी. सी. (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

प्रो. (डा.) सूर्य रश्मि रावत,

अध्यक्ष, शीर्ष समिति, (SPARSH)

उत्पीड़न की संवेदनशीलता, रोकथाम और पुनर्व्यवस्था

केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला